पृष्ठभूमि मौजूद है, इसलिए सामाजिक तौर पर उन्हें निपटना होगा, उसके सिवाय जेलों में बंदी बनाकर सजा देना अलोकतात्रिक है, इसलिए राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए।

मांगें :

1) सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में गिरफ्तार होकर जेलों में बंद सभी को राजनीतिक बंदियों का दर्जा देना है।

2) राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहा करना है।

3) उपा (यू.ए.पी.ए.), विभिन्न राज्यों के सुरक्षा कानून, अफ्स्पा (ए.एफ. एस.पी.ए.) जैसे फासीवादी कानूनों को रद् करना है। राजद्रोह कानून को भारतीय दण्ड संहिता से निकालना है। इन कानूनों के तहत गिरफ्तार सभी को तुरंत बिना शर्त रिहा करना है।

4) जेलों में बंदियों, खासकर राजनीतिक बंदियों व महिला बंदियों के अधि कारों के हनन और उनपर जारी दमन और अत्याचार पर रोक लगाना है।

5) जेल मेनुअलों को सुधारना है। उनके अनुरूप जेल की परिस्थितियों में बेहतरी लाना है।

6) ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत जारी मिशन 2017 के फासीवादी हमले को रोकना है।

7) अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाजों का गला घोटना बंद करना है।

8) देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए मूलवासियों द्वारा संचालित आंदोलनों पर दमन तुरंत बंद करना है।

9) कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर और बोडोलैंड आदि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों और गोर्खालैंड जैसे अलग राज्य आन्दोलनों पर सरकारी भाड़े के बलों के पाशविक दमन को बंद करना है।

10) मजदूर, किसान आदि उत्पीड़ित वर्गों, छात्र-युवा, प्राध्यापक, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं आदि उत्पीड़ित तबकों पर मनुवादी, ब्राह्मणीय हिन्दूत्व फासीवादी हमले को रोकना है।

दिनांक : 17-7-2017 क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

लेटर न. 1/2017 पार्टी सदस्यों तक

राजनीतिक बंदियों की निर्शत व तुरंत रिहाई के लिए आंदोलन तेज करें!

कामरेड जतीन दास के 88वें शहादत दिवस के अवसर पर 13 सितम्बर को राजनीतिक बंदियों के अधिकार व दिवस के रूप में पालन करें!

प्रिय कामरेडो!

13 सितम्बर, 2017 को क्रांतिकारी और भगत सिंह के अनुयायी, शहीद कामरेड जतीन दास के 88वें शहादत दिवस के मनाने जा रहे हैं। वह वर्ष 1929 में इसी दिन लाहोर जेल में 63 दिन की शानदार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए। जेल में क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के नेतृत्व में जेल बंदियों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष किए थे। उनकी मांगों में से मुख्य मांग थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वालों को साध ारण अपराधियों के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक बंदियों का दर्जा देना। इसके साथ-साथ साफ भोजन, सुविधाएं, पढ़ने-लिखने के लिए जरूरी सामग्री आदि मांगे भी थे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दिन बीतने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। सबसे पहले जतीन दास का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। साथियों ने चिकित्सा के लिए तैयार होने के लिए उनको समझाया। जतीन ने मांगें मनवाने के लिए जरूरत पड़ा तो जान देने के लिए भी तैयार हो गये, लेकिन चिकित्सा के लिए नहीं। आखिर 63 दिन की हड़ताल के बाद कामरेड जतीन दास ने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को लाहोर से कोलकाता ले जाते समय, प्रत्येक रेलवे स्टेशन में हजारों लोगों ने इस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकता पहुंचते ही 4 लाख लोगों ने कामरेड जतीन दास की अंतिम यात्रा में इकट्ठे होकर क्रांतिकारी जोहार अर्पित किये।

महान देशभक्त व क्रांतिकारी कामरेड भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरू आदि की सभी क्रांतिकारी गतिविधियां हमारे लिए इतिहास के पाठ हैं। उनके पूरे जेल जीवन में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों व जेल अधिकारियों के खिलाफ भीषण संघर्ष करते हुए कई उच्चतम परम्पराओं को खड़ा किया। राजनीतिक बंदियों के रूप में दर्जा हासिल करने के लिए उन्होंने कई आंदोलनों को संचालित किया। उन्होंने जेल को ही क्रांतिकारी पाठशाला के रूप में तब्दील किया, साथ-साथ

जेल के चार दीवरों के बीच से ही ''इंकलाब जिन्दबाद'' के संदेश को देश के जन-जन तक पहुंचाया। हंसमुख होकर फांसी पर चढ़कर अपने प्राणों को न्योछावार कर दिया। यह संघर्षशील विरासत देश की जनता को अभी भी उत्साहित कर रही है। यह आज जेलों में बंद क्रांतिकारियों को बहुत ही मनोबल दे रही है, उन्हें सघर्ष का रास्ता भी दर्शा रही है। कामरेड जतीन दास के शहादत दिवस के इस अवसर पर हमारी केन्द्रीय कमेटी उनकी याद में विनम्रतापूर्वक क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 13 सितम्बर को राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस के रूप में मनाने और जेलों के अंदर बंदी कामरेडों के संघर्षों के समर्थन में देशभर में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए मजबूत भाईचारा आंदोलन विकसित करने के लिए केन्द्रीय कमेटी आह्वान करती है।

कामरेडो!

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने जाने के बाद भी हमारे देश की परिस्थितियों में कोई मौलिक बदलाव नहीं आया। 1947 में मिली आजादी झूठी है। देश के बड़े सामंती व दलाल नौकरशाही पूंजीपति शासक वर्ग व एक तरफ हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे बड़े लाकतांत्रिक देश, सम्प्रभुता वाले देश, कल्याणकारी राज्य के रूप में चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ साम्राज्यवादियों के लिए देश की सम्पदाओं, प्राकृतिक संसाधनों और श्रम-शक्ति को कोड़ियों की दाम में बेचते हुए अर्ध औपनिवेशिक और अर्धसामंती सामाजिक व्यवस्था को संरक्षण दे रहे हैं। सामंती-अनुकूल और साम्राज्यवादी-अनुकूल नीतियों तथा मजदूर-किसान आदि उत्पीड़ित जन विरोधी नीतियों को अमल कर रहे हैं। परिणामस्वरूप लोगों की जिंदगीं दूभर हो रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए साम्राज्यवाद, बड़े सामंती और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गो को उखाड़ कर अर्धउपनिवेशिक और अर्धसामंती व्यवस्था के स्थान पर मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली नवजनवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लक्ष्य से हमारी पार्टी के नेतृत्व में दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते पर हथियारबंद संघर्ष जारी है। दूसरी तरफ उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं - कश्मीर, नागा, मणिपुर, असम और बोडो जनता अपनी मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रही है। देशभर में सभी उत्पीड़ित वर्गों और तबकों के अपनी समस्याओं पर विभिन्न आंशिक, राजनीतिक और जनवादी आंदोलन जारी हैं। इन जायज संघर्षों और आंदोलनों पर शोषक वर्ग चरित्र वाली भारतीय राज्ययंत्र द्वारा भीषण फासीवादी दमन चलाया जा रहा है। परिणामस्वरूप देश की जेलें नरककूप के रूप में तब्दील हो रही हैं।

ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 2013 से जिस तरह पालन कर रहे हैं, उसी तरह 13 सितम्बर और 10 दिसम्बर को राजनीतिक बंदियों के भाइचारा व आंदोलन के दिवस के रूप में मनाने सभी पार्टी यूनिटों का केन्द्रीय कमेटी आह्वान कर रही है।

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न राज्यों की जेलों में रह रहे हमारे राजनीतिक बंदियों की संख्या, जेलों के नाम, उन पर थोपे गये मामलों की संख्या, वे कितने सालों से जेल में बंद हैं, सजा भुगतने वालों का ब्योरा, उनमें से महिला-बच्चे, वृद्धों, किसान, आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान, छात्र कितनी संख्या में हैं, वकील को नियुक्त करवाने में अक्षम लोग कितने हैं, जेल के पास वकीलों और राजनीतिक बंदियों के परिवारों के किन्हीं सदस्यों को गिरफ्तार किया क्या गया है, इसकी ब्योरा इकट्ठा कर, कॉपी निकाल कर देश के विभिन्न मानवाधिकार संगठनों, जनसंगठनों, बार अशोसियेशनों को, जिला न्यायाधीश से लेकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक, केन्द्र व राज्य के मानवाधिकार आयोगों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) तक भेजना होगा। जेल बंदियों के परिवारों के साथ इस समस्या पर कार्यरत सगठनों को प्रेस कान्फरेन्स (पत्रकार संम्मेलन) संचालित करना होगा। पार्टी फ्राक्शनों के द्वारा संबंधित संगठनों, मानवाधिकार संगठनों की ओर से प्रचार और आंदोलन कार्यक्रम लेना होगा। अन्य क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों को इसमें मदद करना होगा। संबंधित संगठनों, मानवाधिकार संगठनों द्वारा राजनीतिक बंदियों के समस्याओं पर कार्यरत विदेशी संगठनों की प्रतिनिधियों को देश में आमंत्रित करना होगा। उनके विभिन्न जेलों में भ्रमण के दौरान राजनीतिक बंदियों की स्थिति के बारे में जांच-पड़ताल करवाकर सच्चाई को देश-विदेशों में उजागर करवाना होगा।

इस अवसर पर जेलों में साधारण कैदियों से मिलकर राजनीतिक बंदियों को संघर्ष के विभिन्न तरीकों अनशन और रैली आदि संचालित करना होगा। जेलों को संघर्ष के केन्द्रों के रूप में विकसित करना होगा। हमारी पार्टी के दृष्टिकोण से जेल कम्यूनों का निर्माण व उन्हें मजबूत करना होगा। जेल से बाहर जेल बंदियों के अधिकारों के लिए जनता, जेल बंदियों के परिवारों और मित्रों को बड़े पैमाने पर गोलबंद करना होगा। 13 सितम्बर को राजनीतिक बंदियों के अधिकार दिवस के रूप में व्यापक प्रचार करना होगा। इसमें क्रांतिकारी, जनवादी, प्रगतिशील और राष्ट्रीयमुक्ति संघर्षों की शक्तियों को गोलबंद करना होगा। विरोध प्रदर्शन, धरना आदि संचालित करना होगा। इस मांग पर बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा कि राजनीतिक बंदियों पर थोपे गये अपराधों के पीछे सामजिक

राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए, उनकी रिहाई के लिए संबंधित संगठनों के साथ-साथ मानवाधिकार संगठनों ने कई आंदोलन, रैली और सेमिनार आयोजित किए। हमारी पार्टी राजनीतिक बंदियों के समर्थन में विभिन्न तरीकों से जनता को गोलबंद कर रही है और उनकी रिहाई के लिए प्रयासरत है। इस प्रयास को और तेज करना होगा। दुश्मन के कारागारों में साधारण जेल बंदियों के साथ राजनीतिक बंदियों द्वारा चलाये जा रहे आंदोलनों के समर्थन में हमारी पार्टी और जनवादी संगठनों को खड़ा रहना चाहिए। ऑपरेशन ग्रीनहंट के तीसरी चरण के तहत अभी केन्द्र व राज्य सरकारें मिशन-2017 के नाम पर अपनी फासीवादी हमले और तेज किए हैं। देशभर में सफेद आतंक मचाते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस रहे हैं। जेलों में राजनीतिक बंदियों पर हमलें और क्रूर रूप ले रहे हैं। इन फासीवादी हमले के खिलाफ और राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए आंदोलन तेज करना होगा। मजबूत जनवादी आंदोलनों के के कारण अतीत में टाडा, पोटा जैसे क्रूरतम कानूनों को सरकारों द्वारा रद्द करना पड़ा था। उसी तरह उपा और अफ्स्पा जैसे काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देशव्यापी मजबूत जन आंदोलन का निर्माण करना होगा। राजनीतिक बंदियों पर जारी दमन और उत्पीड़न के बारे में बाहर की दुनिया में भण्डाफोड़ करना होगा। जेल आंदोलनों के साथ बाहर संचालित आंदोलनों का समन्वय करना होगा। इसका हम पर्याप्त प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। उनके समस्यओं और उनके परिवारों की समस्याओं पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस कमी को हमें दूर करना होगा।

कामरेडो!

2010 की सीसी बैठक में प्रस्ताव किया गया था कि राजनीतिक बंदियों के आंदोलन दिवस व भाइचारा दिवस के रूप में जेल में और जेल से बाहर हर साल 23 मार्च, 13 सितम्बर और 10 दिसम्बर (विश्व मानवाधिकार दिवस) को पालन किया जाए। तब से लेकर हमारी पार्टी के सभी रीजनल ब्यूरो (आर.बी.) और राज्य कमेटियां उक्त दिनों में लिये जाने वाले ठोस कार्यक्रम का आह्वान करते आ रहे हैं। जेल के कामरेड्स उन दिवसों का पालन कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों/इलाकों की जेलों में और बाहर परिस्थितियों और अवसरों में असमानता होने के कारण सभी जगहों पर एक समान प्रचार-आंदोलन के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। आंदोलन की जरूरतों को ध्यान में रखकर पार्टी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कई बार इस तरह के कार्यक्रम लेने के कारण कुछ परिस्थितियों में कुछेक बार राजनीतिक बंदियों के आंदोलनों के प्रति भाइचारा दिवस प्रभावशाली

शोषक वर्ग के इस राज्ययंत्र को सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में सशस्त्र रूप से ध्वस्त कर, इसके स्थान पर मजदूरों और किसानों के गठजोड़ के आधार पर चार वर्गों के राज्ययंत्र की स्थापना किये बिना इस देश की जनता मुक्ति हासिल नहीं कर सकती।

देश बंदी शिविर में तब्दील हो रहा है

दलाल शासक वर्गों द्वारा 1990 के दशक से अमल में लायी जा रही उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण (एल.पी.जी.) नीतियों के कारण पिछले 26 सालों में शोषण, उत्पीड़न व दमन गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। इससे जनता की जिन्दगियां और दूभर हो गयी हैं। साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कार्पोरेट घरानों की मनमानी लूट और उन्हें अधिकाधिक मुनाफें पहुंचाने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए खोलने के कारण देश के गरीब और मध्यम वर्ग की जनता की जिन्दगियां सट्टा बाजारों के उठा-पटक से छिन्नभिन्न हो रही हैं। बढ़ती आर्थिक संकट के साथ-साथ देश सट्टे पूंजी के लिए अधिकाधिक मुनाफें लुटवाने के स्थल के रूप में तब्दील हो गया है। इसकी वजह से ग्रामीण और शहरी इलाकों की जनता की जिन्दगी की कोई गारंटी नहीं रह गयी है। इससे जनता के अधिकार दिन ब दिन सिकुड़ते जा रहे हैं। मजदूरों द्वारा कई वर्षों से संघर्ष कर हासिल किए गए अधिकारों को कुचला जा रहा है। किसानों ने बड़े पैमाने पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में अपनी जीवन-मरण समस्याओं पर जुझारू रूप से संघर्ष पर उतरने से उनपर सरकारी सशस्त्र बल क्रूर दमन लागू कर रहे हैं। लड़ने वाले प्रत्येक उत्पीड़ित वर्ग, तबका और राष्ट्रीयता भीषण दमन का सामना कर रहा है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को भी अमल नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत जनता के अधिकारों को कुचलने वाले कई क्रूर फासीवादी कानून बना रहे हैं। उत्पीड़ित जनता द्वारा जारी जायज संघर्षों पर इनका प्रयोग कर निर्दयता से कुचल रहे हैं।

भाजपा शासित केन्द्र और विभिन्न राज्यों में हिन्दूत्ववादी संघ परिवार के कई प्रतिक्रियावादी संगठन उभर रहे हैं। ये हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लक्ष्य से गो रक्षा और घर वापसी आदि के नाम पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर, दलितों, आदिवासियों, छात्रों, प्राध्यापकों, महिलओं आदि तबकों पर बेरोकटोक व अत्याचार कर रहे हैं, कइयों की हत्या कर रहे हैं। इन फासीवादी नीतियों के

खिलाफ मजदूर, किसान, छात्र, युवा, महिला, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बेरोजगार, आदिवासी, दलित आदि उत्पीड़ित जातियों की जनता, धार्मिक अल्पसंख्यकों - मुसलमानों और इसाइयों आदि उत्पीड़ित वर्गों और तबकों की जनता अपनी जीवन परिस्थितियों में सुधार के लिए, आत्मसम्मान के लिए, सामाजिक और राजनीतिक मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए, विभिन्न राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए, जमीन, अधिकार व मुक्ति के लिए और नवजनवादी क्रांति के लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रही है। कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर की राष्ट्रीयताओं ने आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ-साथ अलग होने के अधिकार के लिए, गोर्खालैंड, त्रिपुरा जैसी जगहों में जनता अलग राज्य के लिए आंदोलन कर रही है।

इन समस्याओं से निपटने में सरकारें नाकाम हो गयी। वे विभिन्न आंदोलनों पर भीषण दमन लागू कर रही हैं। वे संघर्षरत जनता पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर पिटाई कर रही हैं। लाठीचार्ज की वजह से सिर, हाथ-पैर व शरीर के अन्य भाग टूटने से लोग अस्पताल में दाखिल होने व मजबूर हैं। फासीवादी सरकारी बल अंधाधुंध गोलीबारी कर आंदोलनकारियों व जनता को मार रहे हैं। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज रहे हैं। जुलाई 2016 से जारी कश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के उभार को कुचलने के लिए लगभग सौ को मारकर, 8 हजार युवाओं को जेल में ठूंस दिया गया है। कई लोगों को गायब कर दिया गया है। जनआंदोलनों के साथ व्यवहार करते समय यथासम्भव कम से कम बल प्रयोग करने की हिदायत कई बार उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस व अर्धसैनिक बलों को देने के बावजूद, हिरासत में बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाने, महिलाओं पर अत्याचार करने, यातना देने के बारे में मानवाधिकार आयोगों जैसे सरकारी संस्थाओं द्वारा कई रिपोर्ट जारी करने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।

'देश की आंतरिक सुरक्षा' के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में व मौजूद क्रांतिकारी व जनवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए भारतीय शोषक-शासक वर्गों द्वारा ब्राह्मणवादी हिन्दूत्व फासीवादी मोदी के नेतृत्व में केन्द्र-राज्य सरकारों ने मिशन 2016, उसके बाद मिशन 2017 के नाम पर ऑपरेशन ग्रीनहंट के तीसरे चरण को तेज किया है। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित उद्योगों, परियोजनाओं व खदानों के खिलाफ जल-जंगल-जमीन-इज्जत-अधिकार के लिए संघर्षरत आदिवासियों पर निर्ममता से दमनकारी हमले कर रहे हैं। पीढ़ी

राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के समर्थन में विश्व भर के विभिन्न देशों में एक अंतरराष्ट्रीय सप्ताह पालन किया।

ओड़िशा की झारपाड़ा विशेष जेल में पिछले मार्च-अप्रैल में 7 माओवादी बंदी उनके मामलों को जल्द से निपटाने और उन्हें राजनीतिक बंदियों का दर्जा देने आदि 5 मांगों को लेकर 21 दिन तक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे। ओड़िशा के मानवाधिकार आयोग के ठोस आदेश के बाद ही अनशन तोड़े। इसी तरह मलकानगिरी जेल और भंजनगर (गंजाम) जेल में विचाराधीन माओवादी बंदी भी उसी समय अनशन पर बैठे। झारखण्ड में नारी मुक्ति संघ में 16 साल से कार्यरत कामरेड चांदमुनी हंसदा की पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ और उसकी रिहाई के लिए महिला कार्यकर्ताएं जन आंदोलन चला रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी मारुति सुजुकि के 36 मजदूर नेताओं व कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए गुडगांव औद्योगिक इलाके में विभिन्न कंपनियों के मजदूर लगातार आंदोलन चला रहे हैं। उनके परिवारों को आर्थिक और हार्दिक रूप से सहायता दे रहे हैं।

साधारण जेल बंदियों ने भी कई आंदोलन चलाये। रायपुर (छत्तीसगढ़) केन्द्रीय कारागार में कैदियों के अधिकारों को अमल करने की मांग को लेकर पिछले अक्टूबर में 2 हजार कैदीयों के आंदोलन में उतरना, इसके लिए सोषल मीडिया का इस्तेमाल करना व जेल अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया। इसे कुचलने के लिए 300 पुलिस जवानों को तैनात किया गया। इस आंदोलन में कैदियों की 10 मांग सफल होने के बावजूद, इसका नेतृत्व करने वाले वीरेन्द्र कुर्रे को अधिकारियों ने तानाशाही तरीके से दूसरी जेल में भेज दिया। पिछले नवम्बर में जगदलपुर (छत्तीसगढ़) केन्द्रीय कारागार के जेल बंदियों ने भी इसी तरह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चलाया। जेल अधिकारियों ने उन्हें जेल मैदान में बंदी बनाकर जेल के अंदर सीआरपीएफ बलों को बुलावा कर दिनभर बेरहमी से लाटीचार्ज करवाया। कई जेल बंदियों को वहां से किसी गुप्त जगह में भेजा गया। जेल में दूभर स्थिति और जेल अधिकारियों की अमानवीय यातनाओं के खिलाफ कैदियों ने कई बार हड़ताल की। इस साल मुम्बई में बाइकुला केन्द्रीय कारागार में भोजन में खराब अंडा देने के खिलाफ आवाज उठने पर नाराज जेल अधिकारी और कर्मचारी ने मंजु सेठी नामक आम जेल बंदी को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गयी। इसके खिलाफ जेल में और बाहर भी संघर्ष हुए।

(भारतीय इस्लामिक छात्र संगठन) कार्यकर्ताओं को बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की। सिमी कार्यकर्ताओं का 30 फीट ऊंचाई वाले जेल दीवार को लांघकर पार करना, वॉच टावरों और सुरक्षा कैमरों की निगरानी से परे जेल से भाग जाना, पुलिस के साथ 'मुठभेड़' में मारा जाना सब सरासर झूठ है।

राजनीतिक बंदियों को मुक्त विश्वविद्यालयों में भर्ती होकर अपनी मर्जी से शिक्षा प्राप्त करने से जेल अधिकारी तानाशाही तरीके से रोक रहे हैं। राजनीतिक बंदियों को बार-बार एक जेल से दूसरी जेल में बदलते हुए परेशान कर रहे हैं। कामरेड कोबाड़ गांधी इसके खिलाफ पिछले जुलाई में अनशन पर बैठे थे, अनशन के दौरान ही उन्हें बलपूर्वक दूसरी जेल में भेज दिया गया। कई राजनीतिक बंदियों की उम्रकैद की सजा पूरी होने के बावजूद उन्हें रिहा किये बिना शासक वर्ग व उद्देश्यपूर्वक रोके रखे हैं।

जेल की सलाकों के पीछे आंदोलन

जेलों में शोषक-शासक वर्गों की निरंकुश नीतियों के खिलाफ राजनीतिक कैदियों ने संघर्ष करने की क्रांतिकारी परम्परा को जारी रखा हुआ है। दुश्मन द्वारा यातनाएं देने, अलग सेलों में बंदी बनाने, आत्मसमर्पण की कार्यनीति को अपनाने के बावजूद क्रांतिकारी चेतना और वर्गीघृणा के साथ मुकाबला कर रहे हैं। पार्टी की गुप्तता को बचाते हुए पार्टी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। क्रांति की जीत के प्रति, पार्टी और जनता के प्रति पूरा विश्वास जता रहे हैं। जेल कम्यूनों में संगठित हो रहे हैं। साधारण जेल बंदियों के साथ मिलकर और अलग से भी जेल अधिकारियों के दमन का प्रतिरोध कर रहे हैं। खासकर, हमारे कामरेड्स इन आंदोलनों में अगली पंक्ति में खड़े होकर जेलों को संघर्षरत क्षेत्रों में तब्दील कर रहे हैं। कुछ अधिकार हासिल कर रहे हैं। जेलों के अंदर हमारे कामरेडों द्वारा संचालित आंदोलन व भारत की नवजनवादी क्रांति में एक प्रमुख स्थान रखते हैं।

दो सालों से अधिक समय से पूणे (महाराष्ट्र) जेल में गंभीर बीमारियों का सामना करने वाले वरिष्ठ माओवादी राजनीतिक बंदी कामरेड मुरलीधरन को कोर्ट पेशी में हाजिर किये बिना बंदी बनाये हैं। इसके विरोध में, स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रिहा करने और तुरंत उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए विभिन्न जनवादी, मानवाधिकार संगठनों और प्रमुख बुद्धिजीवियों ने एक अंतरराष्ट्रीय अभियान संचालित किया। इसके प्रभाव से जेल अधिकारी एक कदम पीछे हट कर उन्हें पूणे के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। भारत के जनयुद्ध के समर्थन में बनी अंतरराष्ट्रीय कमेटी (ICSPWI) ने देश के

दर पीढ़ी जीवनयापन करने वाले लोग अपने जन्मस्थलों, कृषि क्षेत्रों और जंगलों को छोड़कर जाने की हिदायत को ठुकराने, अपने गांवों, झोपड़पट्टियों, पहाड़ों और नदियों को ही नहीं, अपने जीवनक्रम और संस्कृति को बचाने के लिए और अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष करने के कारण जनता और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर विभिन्न झूठे मामले थोप रहे हैं। कई लोगों को लापता कर गायब कर रहे हैं। मुठभेड़ों के नाम पर मार रहे हैं। पिछले साल 165 और इस साल अभी तक 65 माओवादियों और जनता की सरकारी सशस्त्र बलों ने हत्या की है। मार्च 2017 में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संसद में पेश की गयी रिपोर्ट के मुताबिक माओवादी संबंधित मामलों में पिछले साल पुलिस ने देशभर में 1,100 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को बेरहमी से यातनाएं दे रहे हैं। बस्तर में 14-16 साल के आदिवासी युवतियों को पकड़कर, महिला पुलिस कर्मियों को थानों से बाहर भिजवाकर, उन्हें नंगा कर यातनाएं दे रहे हैं। हाथों और स्तनों पर बिजली से झटके दे रहे हैं। संविधान के मुताबिक 5वीं अनुसूची के दायरे में आने वाले आदिवासी इलाकों से उन्हें भगाकर उनके पारम्परिक और नयी क्रांतिकारी सत्ता के निर्माण को कुचल कर, उन इलाकों को देश-विदेशी कार्पोरेट घरानों के हवाले करने के लिए गांवों को जला रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए बेरोकटोक महिलाओं पर लैंगिक अत्याचार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों पर नक्सली के नाम पर आत्मसमर्पण करने, मुखबिर बनने, विभिन्न पुलिस व अर्धसैनिक बलों तथा भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। पुलिस की परेशानियों से हैरान होकर लोग अपने गांवों को छोड़कर भागने मजबूर है। अब उच्चतम न्यायालय और सीबीआई द्वारा ही यह सवाल उठाने की स्थिति पैदा हो गयी है कि वे लोग न्याय के लिए कहां जाए।

राज्य उसके खिलाफ सामने आने वाले किसी भी विरोध को कुचलने के लिए उपा (यू.ए.पी.ए.), अफ्स्पा (ए.एफ.एस.पी.ए.) कानून और विभिन्न राज्यों में इस तरह के क्रूर कानूनों के तहत मामले दर्ज कर रहा है। सरकार की जनविरोधी, नाजायज, दमनकारी नीतियों के खिलाफ और जनता पर, खासकर महिलाओं पर पुलिस द्वारा जारी हत्या व अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वालों, इन अत्याचारों की जांच-पड़ताल कर इन्हें उजागर करने वालों और प्रत्येक जनपक्षधर पर हमलें किये जा रहे हैं। राज्य द्वारा क्रांतिकारी, जनवादी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के खिलाफ प्रतिक्रियावादी आंदोलनों को उकसाने,

सफेद आतंक पैदा करने की वजह से देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की परिस्थिति और बिगड़ गयी है।

क्रांतिकारी संघर्ष के इलाकों में ग्रामीणों, जनवादियों, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, जनहितैषियों, वकीलों, पत्रकारों, आखिर शासक वर्गों के विपक्षि पार्टियों के नेताओं का भी पीछा करना, धमकियां देना, शारीरिक हमले करना, सामने दिखने वाले सभी को 'माओवादियों' के नाम पर उपा आदि काले कानूनों के तहत गिरफ्तार कर जेल में ठूंसना, आंदोलन के इलाकों से भगाना पुलिस व प्रतिक्रांतिकारी संगठनों की दिनचर्या बन गयी है। उन्होंने बस्तर में जारी पुलिस राज के बारे में सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करने वाले भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ (NFIW) और अमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं पर छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत मामले दर्ज कराने की मांग की। दण्डकारण्य में अग्नि, भूमकाल संगठन जैसे प्रतिक्रांतिकारी संगठनों को सामने लाकर उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी उल्लंघन करते हुए सलवा जुडुम को पुन:स्थापित कर रहे हैं। डीआरजी जैसे प्रतिक्रांतिकारी भाड़े के कमांडो बलों को विभिन्न पुलिस व अर्धसैनिक बलों, माओवादी विरोधी तत्वों, आत्मसमर्पित नक्सलियों, स्थानीय आदिवासियों, सलवा जुडुम शिविरों से चयनित गुंडों से गठित किया जा रहा है। बिहार-झारखण्ड में टीपीसी, जेजेएमपी जैसे कई राज्य पोषित प्रतिक्रांतिकारी गुट सक्रिय हैं। पुलिस ऑपरेशनों में क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और जनता को मारने, महिलाओं पर सामूहिक अत्याचार करने, घरों में आगजनी, संपत्ति को ध्वस्त करने व लूटने में यही बल आगे रह रहे है।

माओवादी मामलों में फंसाये गये आम आदिवासियों को कानूनी सहायता देने के लिए कार्यरत जगदलपुर के कानूनी सहायता ग्रुप (जगलाग) की वकीलों को इन्हीं प्रतिक्रांतिकारी तत्वों द्वारा आतंकित कर फरवरी 2016 में वहां से भगाया गया था। उन्हें "बाहरी लोग" कहकर स्थानीयवाद को उकसाकर जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिलों के बार असोसियोशनों को प्रतिक्रियावादी संगठनों के रूप में परिवर्तित किया गया है। इससे वे वकीलों व क्लइंटों के हितों को बचाने की नहीं, बल्कि संविधान के खिलाफ जाकर इसाइयों, दलितों व माओवादियों के मामलों को कोई भी वकील लेने पर 'खाप पंचायतें' करने की स्थिति तक पतन हो गयी हैं।

2011 में हुई ताडमेट्ला आगजनी-हत्याकाण्ड पर सीबीआई ने विशेष न्यायालय में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि उस काण्ड के लिए बस्तर

की रणवीर सेना ने 23 घटनाओं में 256 गरीबों व दलितों का जनसंहार किया। इसके बावजूद बठानी टोला, लक्ष्मणपुर-बाथे, नगरी बाजार, मेइनपुर, नारायणपुर और शंकर बिघा नरसंहारों में रणवीर सेना आदि सेनाओं के हत्यारों पर चलाये गये मामलों में उन्हें निर्दोष करार देकर विभिन्न कोर्टों ने उन्हें रिहा किया। नगरी बाजार मामले में सिर्फ एक को ही उम्रकैद हुई।

इसी तरह ओड़िशा में हमारी पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कामरेड आशुतोष, झारखण्ड में कामरेड सुखेंदु मुण्डा, शोभा मुण्डा, महेश्वर महतो, अनिल मंडल, रंजन, छत्तीसगढ़ में कामरेड मधु उम्रकैद; मध्यप्रदेश में कामरेड सुनीता, रवींदर, डांगे, रामचंदर और नारन्ना अन्य सजाएं भुगत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कामरेड निर्मला, पद्मा और मालती जैसी राजनीतिक बंदी गंभीर बीमारियों को झेलते हुए लम्बे समय से जेलों में बंद हैं। निर्मला और पद्मा 2007 से विचाराधीन बंदी हैं। कामरेड मालती को दो मामलों में सुनाई गयी सजाओं को एक ही समय में चलाने जिससे 10 सालों में ही रिहाई होनी थी, की बजाए पुलिस अधिकारियों ने तानाशाही तरीके से अलग-अलग गिनते करते हुए अनिश्चित काल तक उन्हें जेल में बंदी बनाकर रखने साजिश रची है। पुलिस व जेल अधिकारियों ने है। इन तीनों के मामले कानूनी और संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

भारत के शोषक-शासक वर्गों के खिलाफ लड़ने वालों को एक चेतावनी देने और क्रांतिकारी, जनवादी व प्रगतिशील शक्तियों की लड़ाकू क्षमता पर पानी फेरने के लिए कोर्ट इस तरह की सजाएं सुना रही हैं। इसके विपरीत पिछले 50 सालों में हजारों क्रांतिकारियों के शीर्ष नेतृत्व, कतारों व आम जनता की हत्या करने वाले किसी एक पुलिस/जेल अधिकारी को भी सजा नहीं सुनाई है। 1984 के सिख हत्याकाण्ड, 2002 के गुजरात जनसंहार आदि के जिम्मेदार किसी एक कांग्रेसी व भाजपाई नेता को भी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है। किसी भ्रष्टाचार के कई घोटालों में लाखों करोड़ रूपयों के जनधन को लूटने वाले शासक वर्गों के नेताओं और उनके दलालों को सजा नहीं मिली है। कोर्टों की इस पूंजीपति और सामंती परस्त रवैये का जनता के बीच भण्डाफोड़ करने की जरूरत है।

हिंदू फासीवादी शक्तियों के खिलाफ एवं कश्मीर के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में बढ़ती मुसलमान युवा की भागीदारी को चेतावनी के रूप में व मध्यप्रदेश के हिंदू फासीवादी भाजपा सरकार ने परदे के पीछे रहकर योजनाबद्ध ढंग से 31 अक्टूबर 2016 को भोपाल केन्द्रीय कारागार में विचारणाधीन 8 सिमी

खासकर, महिला कामरेड्स गंभीर मुश्किलें झेल रही हैं।

झूठे सबूत या किसी सबूत के अभाव में पिछले साल कई किसानों और क्रांतिकारियों को फांसी, उम्रकैद, 5-10 साल की सजाएं दी गयी हैं। पिछले अप्रैल में झारखण्ड के लोहरदगा कोर्ट ने सेन्हा एम्बुश के आरोप में 5 माओवादी क्रांतिकारियों को, अगस्त में दुमका कोट ने प्रवल दा को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। बिहार में सिनारी मामले में नवम्बर में जहानाबाद जिला कोर्ट ने 10 कामरेडों को फांसी और तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बिहार के बारा मामले में 4 माओवादी बंदियों को 24 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गयी थी। राष्ट्रपति के पास प्रतीक्षित उनकी दया याचिका का 2016 के अंत में उन्होंने अनुमोद करते हुए उन्हें 'जिंदगी भर' जेल में रखने का आदेश जारी किया। इसकी सभी जनवादियों ने तीव्र रूप से निंदा की। मई 2017 में बिहार के मुंगेर जिला कोर्ट ने एक एम्बुश के आरोप में 5 माओवादी बंदियों को फांसी की सजा सुनाई। कांकेर (छत्तीसगढ़) जिला कोर्ट ने तथाकथित 'शहरी नेटवर्क' मामले में 5 किसान और छोटे व्यापारियों को 10 साल की सजा सुनाई है।

उपा मामले में नागपुर जेल में बंद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, 90 प्रतिशत विकलांग डाक्टर जीएन साईबाबा को जमानत देश-विदेशों में हुए लम्बे संघर्ष के बाद अप्रैल 2016 में मिली थी। यह भारत की जनवादी व प्रगतिशील शक्तियों की जीत थी। लेकिन एक साल के अंदर ही, दूसरे मामलों के विपरीत, जल्द सुनवाई चलाकर 7 मार्च 2017 को उन्हें और पांच लोगों को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला एवं सत्र न्यायालय ने कोई सबूत के बिना उम्रकैद की सजा सुनाई है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त साइबाबा को कम से कम कोर्ट द्वारा अनुमोदित इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाये बिना शासक वर्ग उनकी जेल में ही हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ देश-विदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके विपरीत हिंदू फासीवादी संघ परिवार के कुछ राज्य-प्रायोजित प्रतिक्रांतिकारी संगठनों ने साइबाबा आदि को ''फांसी देने'' की मांग करते हुए नागपुर में प्रदर्शन किया।

बारा, सिनारी और मुंगेर जैसे मामलों में भूमिहीन, गरीब दलित और पिछड़े जाति वालों को इस तरह की कठिन सजाएं देना, वहीं उच्च जाति वालों इस तरह की मामलों में बहुत ही आसानी से बरी कर देना- इससे इस न्याय व्यवस्था के वर्ग चरित्र उजागर होती है। दरअसल उक्त बारा मामले में कोई सबूत के बिना सजाएं सुनाई गयी हैं। 1980 और 1990 के दशकों में उच्चजाति के जमींदारों

के पुलिस आईजी एस.आर.पी. कल्लूरी के नेतृत्व में एसपीओ, सलवा जुडुम के कार्यकर्ता और सीआरपीएफ ही जिम्मेदार है। इसके विरोध में डीआरजी पुलिस व सहायक आरक्षकों (विगत में एसपीओ) ने प्रदर्शन किया (कोर्ट का धिक्कार किया)। सामाजिक कार्यकर्ताओं के पुतले पूरे बस्तर में जलाए। इसपर कल्लूरी ने उनका अभिवादन किया। उन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर माओवादियों से तथाकथित संबंध का इल्जाम थोपकर उपा के मामले दर्ज किये। पिछले दिसम्बर में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना से बस्तर आने वाली 7 सदस्यीय जांच कमेटी के प्रमुख जनसंगठन के नेताओं पर सुकमा जिले में एक प्रतिक्रांतिकारी गुट ने हमला कर अपमानित किया। उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत झूठी मामले में फंसाकर जेल में ठूंस दिया गया। अवैध व मनमाने तरीके से निर्दोष आदिवासियों को गिरफ्तार करने पर पुलिसवालों को फटकार लगाकर उनकी आंखों की किरकिरी बने सुकमा जिले के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर ग्वाल को 'जन हित' के नाम पर नौकरी से हटा दिया गया। माओवादियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाने के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से रायपुर केन्द्रीय कारागार की उपजेलर वर्षा डोंगरे को निलम्बित कर दिया गया। ताड़मेट्ला हत्याकाण्ड में सीबीआई, आदिवासी महिलाओं पर सामूहिक अत्याचार के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न मुठभेड़ मामलों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा माओवादी विरोधी ऑपरेशन के नाम पर हिंसा करने पर पुलिस को फटकार लगाने की स्थिति पैदा हुई है।

केरलम में कामरेड्स कुप्पु देवराज और अजिता की पुलिस ने नीलम्बूर झूठी मुठभेड़ में हत्या करने के विरोध में केरल में हजारों लोग जुझारू रूप से सकड़ों पर उतरे। उनपर तथाकथित वामदल सीपीएम की सरकार द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। नीलम्बूर घटना के बाद वहां सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और छात्रों का पीछा करना, अपहरण करना, उपा जैसे कानूनों के तहत गिरफ्तार करना और हत्या करना बढ़ा है। पिछले दिसम्बर में ही 10 से ज्यादा लोगों को उस सरकार ने उपा कानून के तहत गिरफ्तार किया है।

उत्तरप्रदेश के साहरनपुर जिले में संघ परिवार के हमलों के खिलाफ लड़ने वाले भीमसेना के चंद्रशेखर आजाद रावन सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर अवैध मामले थोपकर जेलों में बंदी बनाया गया। इसके खिलाफ दलित व जनवादी संगठनों का आंदोलन जारी है। गोर्खा जनता पर बलपूर्वक थोपी गयी

बंगाली भाषा और बंगाल सरकार के आदेश के खिलाफ जून महीने से फिर से शुरू हुए अलग गुरखालैंड राज्य के लिए आंदोलन को कुचलने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना को तैनात किया हैं। वे गोर्खा लोगों पर बेरहमी से लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां कर, करफ्यू लगाकर, गोलीबारी कर आतंक मचा रहे हैं।

जेल 'सुधार केन्द्र' नहीं बल्कि नरककूप हैं

भारतीय संविधान का कहना है कि देश के नागरिक किसी परिस्थिति में जेल जाने में मजबूर होने के बावजूद, उन्हें सुधार कर फिर से सामाजिक जीवन सही तरीके से बिताने लायक परिवर्तित करने वाले सुधार केन्द्रों के रूप में जेल होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जेल कानून, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनायी गया मेनुअल पुरातन ब्रिटिश सरकार की 1894 में बनायी गयी जेल मेनुअल के नकल ही हैं। जेल सुधारों के लिए और एक रुकावट है, आइपीएस अधिकारों के ही जेल अधिकारी के पद पर रहना। इसकी वजह से व्यवहार में जेल अधिकारी मनमाने तरीके से जेल नियमों को अमल कर रहे हैं। परिणास्वरूप देश की जेलों की स्थिति दूभर हो गयी है। भारत की जेलें दुनिया में ही सबसे घटिया किस्म के रूप में जानी जाती हैं। जेलों में अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। जेल के नियम व अनुशासन कर उल्लंघन करने के नाम पर और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले जेल बंदियों पर बेरहमी से यातनाएं देना साधारण बात हो गयी है। जेल बंदियों को बेड़िया नहीं डालने की उच्चतम न्यायालय के फैसले के दशकों साल बीत जाने के बाद भी इस बर्बर पद्धति को अमल किया जा रहा है। जेलों के आधुनिकीकरण के नाम पर फासीवादी तरीके से जेल बंदियों पर हर पल निगरानी रखकर नियंत्रण करने वाली टेकनोलोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दमनकारी पद्धतियां ला रहे हैं। मानवाधिकार आयोगों व संगठनों को जेलों में भ्रमण करना है तो जेल अधिकारियों को पहले ही सूचित करना होता है। उनके भ्रमण के पहले ही जेल की सफाई व पुताई कर ऐसा माहौल बनाते हैं कि सब ठीक-ठाक है।

दरअसल जेलों में भोजन के साथ-साथ पानी, साफ-सफाई, आवास की स्थिति जानवारों से भी बदतर है। न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं होती है। जेल में एक पानी का पम्प खराब होने से उसकी रिपेरिंग के लिए 3-4 महीना लगता है। हफ्ते में एक बार जिला न्यायाधीश, प्रत्येक महीने में जिला कलेक्टर द्वारा जेलों का भ्रमण करने का आदेश 15 साल पहले ही उच्चतम न्यायालय ने

बंदी बना रहे हैं। दिल्ली के गाजियाबाद और रोहतक में बम विस्फोट मामलों में मास्टर माइंड के रूप में आरोप लगाकर मोहम्मद आमिर खान को 14 साल तक बंदी बनाया था। अंत में कोई सबूत नहीं दिखा पाने की वजह से उन्हें रिहा करना पड़ा। इस तरह के मामले अनगिनत संख्या में है।

राजनीतिक बंदियों पर दर्ज मामलों पर सुनवाई (trial) में साजिशपूर्ण तरीके से देरी करते हुए सही रूप से नहीं चला रहे हैं या देरी से चला रहे हैं। सुनवाई करने वाले मामले लगभग सभी झूठे साबित होने की वजह से कई सालों के बाद सही सबूत के अभाव का हवाला देकर उन्हें जेलों से रिहा करना अनिवार्य हो रहा है। इस तरह 6, 7, 8 साल तक पश्चिम बंग के जेलों में बंद कामरेड गौर चक्रवर्ती, हिमाद्री सेन राय, चांदी सरकार आदि राजनीतिक बंदियों की रिहाई जुलाई 2016 में हुई। (पश्चिम बंग के राज्य कमेटी के पूर्व सचिव कामरेड हिमाद्री की रिहाई होने के कुछ समय के बाद ही उनका निधन हो गया)। महाराष्ट्र में बाइकुल्ला जेल से कामरेड एंजेला सोंटक्के की 6 साल के लम्बे संघर्ष के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत देने के बाद रिहाई हुई।

राजनीतिक विश्वास रखने वाले क्रांतिकारियों को साधारण जेल बंदियों से अलग कर अलग सेलों में बंदी बना रहे हैं। राजनीतिक बंदियों में कामरेड अखिलेश यादव, प्रमोद मिश्र, मुरलीधरन, कोबाड गांधी, साधनाला रामकृष्णा, चंद्रशेखररेड्डी, अमिताभ बागची जैसे वरिष्ठ नेताओं को उनकी उम्र और सेहत को देखे बिना लम्बे समय तक जेलों में बंदी बनाया जा रहा है। लम्बे समय से उम्रदराज होने से सामना कर रहे गंभीर बीमारियों का सही समय पर उचित चिकित्सा और दवाइयां उपलब्ध कराने पर रोक लगाते हुए, उनके साथ जेल अधिकारी सरकार के आदेशों के अनुसार बहुत ही अमानवीय ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। इससे उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

हमारी पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कामरेड विजय कुमार आर्य, वारणासी सुब्रहमण्यम, मोहित, पतित पावन हलदार; राज्य कमेटी के सदस्य बिहार-झारखण्ड में कामरेड्स कुणाल, पीएन, सतीश, चंद्रप्रकाश, सुनील, तरुण, पश्चिम बंग में कामरेड्स सुदीप चोंगदार, अखिल, विद्युत, अशोक, असम में कामरेड इंद्रनील, महाराष्ट्र में कामरेड मदनलाल, तेलंगाना में कामरेड शिवारेड्डी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरलम में कामरेड शायना के साथ और 7 कामरेड, इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में विभिन्न स्तरों के कई कामरेडों को कई मामलों में फंसाने की वजह से कई सालों से वे जेलों में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

जनवादी तरीका!

जेल अधिकारियों द्वारा पुलिस व खुफिया एजेंसियों के समक्ष प्रबन्ध कराने वाले जाली मुलाकातों में कोई पारदर्शिता नहीं है। मुलाकातों में भी कई अवरोध और बाधा-निषेध रहते हैं। गरीबी और पुलिस के दमन के कारण जेल बंदियों के रिश्तेदार मुलाकात करने में कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में जेल बंदी अपने परिवार के सुख-दुख के बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल कर पाने के कारण मानसिक रूप से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। झूठे मामलों में फंसकर जेल जाने मजबूर लोगों के परिवरों की देखरेख करने वाले कोई नहीं रहने की वजह से कई परिवार गरीबी की हालत में है।

राजनीतिक बंदियों पर जारी गंभीर उत्पीड़िन

ब्रिटिश के समय के तरह ही, उत्पीड़ित वर्ग, तबका, राष्ट्रीयता और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, संघ परिवार द्वारा जारी हमलों के खिलाफ, समाज के हित के लिए विभिन्न राजनीतिक विश्वासों के साथ कार्यरत व्यक्तियों, माओवादियों, उनके समर्थकों, विभिन्न जनवादी, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के नेता व कार्यकर्ता और धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ भी जेलों में साधारण जेल बंदियों के जैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा देने के फैसले कई न्यायालयों द्वारा सुनाने के बावजूद शासक वर्ग इनपर अमल नहीं कर रहे हैं।

राजनीतिक बंदियों पर कितने मामले दर्ज हैं, इसे भी गुप्त रूप से रखा जा रहा है। 5-10 साल जेलों में सड़ने वालों पर नए-नए वारंट जारी कर रहे हैं। दरअसल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 (1) बताता है कि उनपर कितने मामले दर्ज हैं, इसे जानने का अधिकार जेल बंदियों का एक मौलिक अधिकार है। इसे नजरअंदाज कर जेल अधिकारी कई राजनीतिक बंदी रिहा होने के बावजूद जेल के पास ही फिर से झूठे मामले दर्ज कराकर गिरफ्तार कर जेल भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्यमरेड्डी, पद्मा को जमानत मिलने के बाद रिहा होने के बावजूद जेल गेट के पास ही फिर से गिरफ्तार कर नए मामलों में जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखण्ड, बिहार, ओड़िशा, पश्चिम बंग, उत्तरप्रदेश, हरियाणा में यही बार-बार हो रहा है। इसके द्वारा कईयों के कभी रिहा नहीं हो पाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

अल्पसंख्यकों को किसी तरह के ठोस आरोप के बिना सालों साल जेलों में

जारी किया था। यह आदेश कहीं भी अमल में नहीं आया। जेलों की स्थिति पर 1983 में जस्टिस मुल्ला कमेटी द्वारा पेश की गयी सिफरिशों को अभी तक अमल नहीं किया गया। देश के शासक कठिन व लम्बी सजा दिलाने वाले कानून बना रहे हैं, लेकिन, कैदियों के अधिकारों के रक्षा की लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मौजूदा अधिकारों का भी लगातार हनन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक वर्तमान में मौजूद जेलों में सुविधाएं बढ़ाने के सिवाय, नाजी जेलों की याद दिलाते हुए और बंदोबस्त के साथ नए जेल निर्माण करने के लिए बड़ी रकम आबंटित कर रहे हैं। इससे जेल बंदियों को अपनी प्रत्येक जरूरत के लिए लड़ने की अनिवार्य स्थिति बढ़ रही है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जेलों में मरने वाले राजनीतिक व साधारण जेल बंदियों की संख्या बढ़ रही है। उचित इलाज उपलब्ध नहीं कराने की वजह से पश्चिम बंग के पुरूलिया जिले के किसान कार्यकर्ता कामरेड परमेश्वर महतो ने पिछले 12 सालों से उम्रकैद की सजा काटते हुए 5 सितम्बर 2016 को दमदम जेल में, झारखण्ड के कामरेड बाबूराम टुडु ने 2 अक्टूबर को हजारीबाग जेल में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी किसान सुकलू मरकाम 23 फरवरी 2017 को दंतेवाड़ा जेल में अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ में इस तरह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रत्येक साल 3-4 आदिवासी राजनीतिक बंदी दम तोड़ रहे हैं। हमारे प्यारे नेता कामरेड सुशील राय की भी इसी तरह फासीवादी सरकार ने अत्यंत निर्मम तरीके से हत्या की थी। हमारे प्यारे नेता कामरेड नारायण सान्याल को लम्बे जेल जीवन में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही करने की वजह से उनकी तबियत धीरे-धीरे बिगड़ गयी। जेल से रिहाई के बाद इस साल 16 अप्रैल को वह कैंसर बीमारी से शहीद हो गये। एक सर्वे के मुताबिक प्रत्येक साल देश भर की जेलों में 1900-2100 कैदी - सजा काटने वाले हो या विचारणाधीन हो - मर रहे हैं। ये सब शासक वर्गों द्वारा की जाने वाली हत्याएं ही हैं।

महिलाएं जेलों में अक्सर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। महिला राजनीतिक बंदियों और कुछ समस्याओं का सामना कर रही हैं। उन्हें ब्राह्मणवादी सामंती पितृसत्ता हर कदम पीछा कर प्रताड़ित कर रही है। कई जेलों में जेल अधिकारी जब बैरकों की जांच करने आते हैं तो जेल बंदियों को चप्पल निकाल कर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना होता है। महिलाओं को दुपट्टा से सिर को ढकना होता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गाली-गलौच करते हैं। स्वास्थ्य के

मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पौष्टिक आहार अधिक मात्रा में देने की जरूरत है, लेकिन उन्हें कम ही देते हैं। महिलाओं के लिए जरूरी कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं। इस तरह महिलाओं को दूभर परिस्थितियों में धकेल रहे हैं। पारू अर्जुन पटेल नामक आदिवासी राजनीतिक कार्यकर्ता को गंभीर अस्वस्थता के लिए मुम्बई में चिकित्सा प्राप्त करने के दौरान पुलिस ने मार्च 2012 में गिरफ्तार किया। कई झूठे मामले थोपकर विभिन्न जेलों में बंदी बनाया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में उनकी आंख की रोशनी व और बहरा बनने की समस्याओं के लिए कोई चिकित्सा नहीं मिली। अभी वह लगभग पूरी तरह बहरी और अंधा होकर मृत्यु की ओर धकेली जा रही है। जेलों में महिलाओं पर लैंगिक अत्याचार आम बात बन गयी है। इस तरह के अत्याचार करने वालों में अधिकतर जेल कर्मचारी, उनके पिछलग्गू बने पुरुष कैदी होने की वजह पीड़िताओं द्वारा उनपर शिकायत करने पर भी जेल अधिकारी दिनों-हफ्तों तक अनसुना करते हैं। उसके बाद मामले दर्ज कर मेडिकल जांच करने से भी परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। मेडिकल जांच के लिए दो हफ्ते, चार्जशीट दाखिल करने के लिए लगभग दो साल और शिकायतों को अंतिम रूप देने के लिए और दो साल लगते हैं। पीड़िताएं निजी वकीलों को नहीं रख सकती। लीगल ऐड पेनेल के वकील जेलों में महिलाओं पर होने वाली लैंगिक अत्याचारों और यातनाओं के मामलों को अनसुना करते हैं। कई पीड़िताओं को अपने मामले कहां तक पहुंचना, उसके वकील कौन है, इसकी जानकारी भी नहीं होती है।

सालों बीतने के बावजूद विचाराधीन बंदियों को जमानत नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा का हवाला देकर जेल बंदियों को सही समय पर मामलों में कोर्ट में हाजिर नहीं करते हैं। कोर्टों में ढेरों मामले जमा होने के साथ-साथ, न्यायाधीशों और पुलिस की दमनकारी नीतियों के कारण साधारण मामलों में भी जमानत नहीं मिलने की वजह से सालों जेलों में सड़ने के लिए मजबूर हैं। जमानत याचिकाओं पर पहली प्राथमिकता देने का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा देने के बावजूद उस तरफ झांकने वाला कोई नहीं है। यह पूरी तरह भारतीय संविधान के खिलाफ है। यह संविधान के 19, 20, 21 वें अनुच्छेद के मुताबिक जीने के अधिकार, जल्दी से मामलों के निपटारे के अधिकार का उल्लंघन है।

इससे आज देशभर में सभी जेल खचाखच भरी हुई हैं। देश में मौजूद जेलें पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए नए तौर पर कई मेगा (भारी) जेलों और खुली जेलों का निर्माण कर रहे हैं और कुछ मौकों पर तात्कालिक टेंटों को भी इस्तेमाल कर

रहे हैं। देश में जेलों में ज्यादातर जेल बंदी गरीब दलित और आदिवासी हैं। गरीब और निरक्षर होने और उन्हें उचित न्यायिक सहायता नहीं मिलने के कारण देश में पिछले 5 सालों में विचाराधीन बंदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 10 में से 7 जेल बंदी विचारणाधीन बंदी ही हैं। इनमें से 43 फीसदी लोग 6 महीनों से लेकर 5 सालों तक जेलों में बंद पड़े हैं। इनमें से कईयों के मामलों में सजा मिलने पर भी इतना समय जेलों में सड़ने की स्थिति नहीं होती है।

इससे जेलें, खासकर, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, केरलम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, असम, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान राज्यों में उनकी क्षमता से ज्यादा - दो, तीन से लेकर चार गुणा तक कैदियों से खचाखच भरी रहती हैं। वहां सोने, कम से कम बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जेलों की क्षमता 6,070 है, लेकिन आज उनमें 16,000 से ज्यादा बंदियों को बंदी बनाकर रखा गया है। जेल बंदियों की संख्या कम करने के लिए बिहार में स्मिता चक्रवर्ती कमीशन की रिपोर्ट में - जेल बंदियों को निजी मुचलके पर जमानत देना, उनके मामलों पर जमानत याचिकाओं और मामलों को जल्द से सुनवाई कर जमानत देना या रिहाई करना, झूठे मामलों को रद् करना आदि कई हिदायतें दी गयी थी। अक्टूबर 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा देश की जेलों में बंदियों की संख्या कम करने के लिए उचित कार्रवाइयां अपनाने के आदेश देने के बावजूद जेल अधिकारियों द्वारा किसी तरह की प्रभावकारी कार्रवाइयां नहीं लेने की वजह से उन्हें न्यायालय ने फटकार लगायी थी। दरअसल संविधान में अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुसार मौलिक अधिकारों सहित अपने ऊपर दर्ज मामलों को पारदर्शिता से निपटाने की मांग करने का अधिकार, अनुच्छेद 22, सीआरपीसी धारा 303 के अनुसार अपनी मर्जी से वकील को नियुक्त करने का अधिकार, अनुच्छेद 39 (ए) निर्देशक नियम (Directive Principles) के अनुसार समान न्याय और उचित न्यायिक सहायता उपलब्ध कराना होगा। इन्हें जेल व न्याय व्यवस्था उल्लंघन कर रहे हैं। मामलों के लिए नियुक्त वकील के साथ जेल बंदी मिलकर बातचीत करने का तंत्र अस्तित्व में ही नहीं है। वकील अपने क्लाइंट (जेल बंदी) से 15 मिनट से अधिक समय बातचीत नहीं कर सकते। राजनीतिक बंदियों के मामले लेने वाले वकीलों को धमकियां मिल रही है। उलटा उनपर ही मामले दर्ज कर जेलों में बंदी बनाना बड़े पैमाने पर जारी है। यही है जनवाद के परदे में फासीवादी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को जेलों में बंदी बनाकर उन्हें न्याय दिलाने का